

FP/UP/other/48988/2020

भाग - 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षण अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन प्रभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षण अथवा उप वन संरक्षण की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

CF, 2021/112 की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।

तिथि 9/3/21

स्थान

हस्ताक्षर
Anupam Gupta
नाम और पद नाम Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act, 1980
सरकारी मोहर
U.P. Lucknow